

श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में
दिनांक-20.07.2026 (सोमवार) को पूर्वाह्न 09.30 बजे संपन्न विभागीय
समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
2. श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बि०रा०खे०प्रा०, पटना।
3. श्री उमाकान्त प्रसाद, अवर सचिव, खेल विभाग।
4. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
5. श्री अजय कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
6. श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक-सह-जनसम्पर्क पदाधिकारी।
7. श्री सपज्ञा ओमीड, सहायक निदेशक (योजना), खेल विभाग।
8. श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
9. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल विभाग।
10. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा), खेल विभाग।

कार्यवाही

(1) सर्वोच्च प्राथमिकताएँ

(क) पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण

पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण हेतु पटना जिले के पुनपुन अंचल अंतर्गत डुमरी मौजा में 100 एकड़ भूमि अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना निर्माण के संबंध में देश के अन्य राज्यों में निर्मित निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का अध्ययन माननीय खेल मंत्री महोदया द्वारा किया जाना है। माननीय मंत्री महोदया के अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में सूचना मंत्री कोषांग से प्राप्त कर लिया जाय।

पटना में प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में किन-किन खेल अवसंरचनाओं का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु विशेषज्ञ कंसलटेन्ट की नियुक्ति संबंधी अभिरूची की अभिव्यक्ति (EOI) संबंधी कार्रवाई एक सप्ताह में किया जाय।

स्पोर्ट्स सिटी का शिलान्यास माह नवम्बर-2026 में किया जाना संभावित है। इस हेतु माह नवम्बर-2026 से पूर्व भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जानी है। इसके लिए दो भ्रमण दल गठन करने से संबंधित पुनः संचिका उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन—श्रीमती हेमा कुमारी, सहायक पदाधिकारी, प्रशाखा-04)

(ख) राज्य स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

i. राज्य के 13 जिलों में 14 स्थानों पर प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा के आलोक में राज्य स्तरीय एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि 10 स्थानों पर कार्य सुचारु रूप से संचालित है तथा 4 स्थानों पर कतिपय समस्या है। जिसका विवरण निम्नलिखित है—

क्र. सं.	जिला का नाम	निगम द्वारा परिलक्षित समस्या	निदेशक द्वारा दिये गये निदेश
1.	जहानाबाद	कृषि विभाग का जमीन है। इस हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है।	अधोहस्ताक्षरी को जिला पदाधिकारी द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया कि केस जीत लिया गया है। भूमि की उपलब्धता के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन हेतु जिला पदाधिकारी जहानाबाद को पत्र भेजा जाय।
2.	भागलपुर	कृषि विभाग का जमीन है। इस हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है।	अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर को पत्र भेजा जाय।
3.	अरवल	चिन्हित भूमि पर अतिक्रमण है।	चिन्हित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जिला पदाधिकारी, अरवल को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।
4.	बक्सर	उपलब्ध भूमि मात्र छः एकड़ होने के कारण अतिरिक्त 1.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।	युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्राप्त पत्र में डेढ़ एकड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर असहमति व्यक्त की गई। इस संबंध में बि0रा0भ0नि0लि0, पटना को तदानुसार उपलब्ध भूमि के अनुसार नक्शा संशोधित करने हेतु पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

ii. विकास आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये समय के आलोक में सभी संबंधित संवेदक के साथ बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना स्वयं बैठक कर कार्य में विलम्ब करने वाले संवेदकों पर नियमानुसार पैनाल्टी लगाने हेतु निदेश दिया गया।

राजकीय बालिक उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर में हॉकी टर्फ निर्माण हेतु स्कीम स्क्रीनिंग समिति के विचारार्थ प्रस्ताव संबंधी संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्रीमती हेमा कुमारी, सहा० प्र० पदाधिकारी, प्रशाखा-04)

(ग) सभी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना

प्रथम चरण में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा किशनगंज (ताइक्वांडो) एवं मधेपुरा (बैडमिंटन) में जिला स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किया जा चुका है। तदोपरांत अरवल (कबड्डी) जिला में प्रशिक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है। श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) को उक्त मामले का अनुश्रवण करने हेतु निदेश दिया गया।

शेष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अविलम्ब प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। साथ ही पूर्व से संचालित एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों जिसमें जिला स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन किया जा सकता है। उसकी सूची उप निदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त के संबंध में उप निदेशक, बि०रा०खे०प्रा०, पटना को एक सप्ताह के अन्दर कार्ययोजना तैयार करने एवं विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री संजय कुमार सहा० निदेशक (क्रीड़ा) एवं श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बि०रा०खे०प्रा०)

(घ) पंचायत स्पोर्ट्स क्लब के लिये दी जाने वाली सुविधाएँ

i. बिहार राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायत एवं 154 नगर पंचायत में खेल क्लबों का गठन किया जा चुका है।

खेल क्लबों में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने हेतु दिनांक-01.07.2026 से 15.08.2026 तक पोर्टल खोले जाने का निदेश बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया।

दिनांक 02.10.2026 से अगले तीन माह तक पंचायत खेल महोत्सव मनाये जाने हेतु विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने का निदेश बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया है तथा इसकी आवश्यक तैयारी करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को पत्र भेजने का भी निदेश दिया गया। पंचायत स्तरीय खेल महोत्सव के उपरान्त प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय पर खेल क्लब महोत्सव आयोजित करने हेतु भी आवश्यक तैयारी करने का निदेश दिया गया।

आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तावित खेल महोत्सव के कार्य योजना संबंधित पी.पी.टी. देने हेतु उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया।

(अनुपालन—श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 04)

ii. खेल क्लबों में सदस्यों को जोड़ने हेतु पोर्टल 15.08.2026 तक खुल चुका है। इस कार्य प्रचार—प्रसार का अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन—श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक—सह—जनसम्पर्क पदाधिकारी एवं बि०रा०खे०प्रा०, पटना)

(च) मेडल लाओ नौकरी पाओ

मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अबतक नियुक्त किये गये खिलाड़ियों की संख्या तथा विज्ञापन वर्ष—2025 एवं वर्ष—2026 में नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों एवं चयनित खिलाड़ियों के संबंध में अद्यतन विस्तृत सूची/प्रतिवेदन निदेशक, बि०रा०खे०प्रा०, पटना से प्राप्त किया जाय।

(अनुपालन—श्री रवि कुमार, वरीय सचिवालय सहायक, प्रशाखा 01 एवं बि0रा0खे0प्रा0, पटना)

(छ) खेल विभागान्तर्गत अवसंरचनाओं एवं सुविधाओं का लाभ

जिला स्तर पर उपलब्ध खेल भवन—सह—व्यायामशाला में मल्टी जिम अधिष्ठापित है। आमजनों/खिलाड़ियों के लिए शुल्क के आधार पर इसके उपयोग की विभागीय मार्गदर्शिका पूर्व से निर्गत है।

उपर्युक्त सुविधा खेल विभाग के Website में लिंक उपलब्ध करने हेतु आवश्यक तैयारी करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—श्रीमति श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक—सह—जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी)

(ज) माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार से प्राप्त अनुशंसा पत्र के आलोक में वेन प्रखण्ड में स्टेडियम के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को स्मार पत्र भेजे जाने एवं इस संबंध में निगम से वार्ता करके अद्यतन स्थिति पता कर प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—श्री रविरंजन कुमार, सहा0 प्र0 पदाधिकारी, प्रशाखा—04)

(झ) प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को आमजनों के समस्याओं संबंधी प्राप्त आवेदनों की सूचना अलग रजिस्टर में अंकित करने का निदेश दिया गया।

सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला खेल पदाधिकारी को सोमवार एवं शुक्रवार को आमजनों के समस्याओं से संबंधित सुनवाई की कार्यवाही का प्रतिवेदन (पंजी की छाया प्रति के साथ) विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल निदेशालय)

(ट) Abhinav Bindra Futuristic limited (ABFL) द्वारा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। इस संबंध में Abhinav Bindra Futuristic limited (ABFL) से प्राप्त पत्र एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत Quality Cum Cost Based

Selection (QCBS) के माध्यम से एजेंसी के चयन एवं राशि रु0 25 करोड़ के व्यय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संलेख मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन—श्री संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—05)

(ठ) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI)

माननीय मंत्री महोदया के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में वार्षिक खेल कैलेंडर तैयार करने हेतु श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया।

(ड) स्टेट गेम-2026 में खेल विधा के अनुरूप प्रयुक्त होने वाले खेल उपस्करों की सूची उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई बि0रा0खे0प्रा0, पटना द्वारा किये जाने का निदेश दिया गया।

(2) आगामी योजनाएँ

(i) राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना:—

विगत वर्ष राज्य में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का सफल आयोजन विभाग के द्वारा कराया गया है।

- आगामी वर्षों में निम्नांकित महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रस्तावित है:—

1. वर्ष-2028 में नेशनल यूथ गेम्स— इस संबंध में भारतीय ओलम्पिक संघ, नई दिल्ली को स्मार पत्र भेजा जाय।
2. वर्ष-2030 में विश्व कप हॉकी— इस संबंध में हॉकी इंडिया, नई दिल्ली को स्मार पत्र भेजा जाय।
3. वर्ष-2031 में राष्ट्रीय खेल आयोजन — इस संबंध में भारतीय ओलम्पिक संघ को स्मार पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन—श्रीमती प्रतिभा कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—05)

(ii) प्रखंड स्तरीय 81 स्टेडियम जहाँ पर प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अवसंरचना अच्छी स्थिति में हैं। उसकी सूची तैयार कर ली जाय। साथ ही स्टेडियमों के भौतिक रूप से निरीक्षण करने का निदेश सभी संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों/अधीक्षक/उपाधीक्षक शा0 शि0 को दिया गया है।

निर्माणाधीन/निर्माण से संबंधित एवं कार्य प्रारंभ नहीं होने वाले आउटडोर स्टेडियमों की सूची/प्रतिवेदन (Soft Copy) बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से शीघ्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

चिन्हित प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियमों में उस क्षेत्र में प्रचालित खेल विधाओं में प्रशिक्षण कार्य का अनुश्रवण कियया जाय।

(अनुपालन—श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक, युवा एवं संबंधित जिला खेल पदाधिकारी)

(iii) हाफ मैराथन, राजगीर (2026) एव वाल्मीकि नगर (2027)

हाफ मैराथन का आयोजन अक्टूबर, 2026 राजगीर में एवं फरवरी, 2027 में वाल्मीकि नगर में होना प्रस्तावित है। जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया।

(अनुपालन—श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना)

(3) प्राथमिकताएँ

(i) विपत्रों का ससमय भुगतान

विपत्रों का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाय तथा प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/वरीय सचिवालय सहायक/लेखा द्वारा ससमय विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन—श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी-02)

(ii) आवंटन

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रशाखा पदाधिकारी-02 द्वारा बजट उपबंध के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना,

राज्य खेल अकादमी, राजगीर, एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर को उपलब्ध कराये गये स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश सूची तैयार कर संबंधित से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मांग की जाय।

आवंटन से संबंधित जो भी पृच्छाएँ अपेक्षित हो उसका शीघ्र निराकरण कराते हुए ससमय आवंटन किया जाय।

(अनुपालन— श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं श्री विकास शर्मा, वरीय सचिवालय सहायक)

(iii) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है:—

1. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा 41 एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। शेष 23 एकलव्य आवासीय केन्द्रों का संचालन शीघ्र आरंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना)

2. भारत सरकार के खेल नीति के अनुरूप राज्य खेल नीति-2026 बनाए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संचिका मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—श्रीमती प्रतिभा कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी-05)

(iv) MIS Module (App) — पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को निदेशित किया गया है। अबतक 6266 खेल अवसंरचनाओं का विवरण जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

समीक्षा के क्रम में पूर्ण/स्वीकृत/निर्माणाधीन एवं खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार की योजना का पूर्ण विवरण एवं अद्यतन फोटोग्राफ भी प्रत्येक सप्ताह पोर्टल पर अपलोड किये जाने एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजे जाने का निदेश सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0,

बिहार को दिया गया। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को भी पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

पोर्टल से संबंधित एजेंसी से पोर्टल में आवश्यक सुधार करा ली जाय। साथ ही MIS Module के प्रतिनिधि को अगली बुधवार की बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक, युवा एवं श्रीमती हेमा कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी—04)

(4) नियुक्ति से संबंधित अधियाचना

पाँच नियुक्ति नियमावली के आलोक में रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जा चुकी है।

बिहार खेल सेवा संवर्ग के 33 रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति से संबंधित परीक्षा सम्पन्न एवं परीक्षाफल प्रकाशित हो चुका है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

बिहार खेल अधीनस्थ सेवा मूल कोटि के 379 क्रीड़ा प्रशिक्षक पद के विरुद्ध नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या—08/2025 प्रकाशित किया गया। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् क्रीड़ा प्रशिक्षक के 379 पदों का 21 खेल विधावार विवरण उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप आयोग ज्ञापांक—1921/आ0, दिनांक—04.05.2026 द्वारा खेल विधावार कोटिवार रिक्तियों की विवरणी एवं पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्धि पत्र प्रकाशित किया गया है।

उक्त अधियाचित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की अद्यतन स्थिति के संबंध में उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा बताया गया कि एजेंसी चयन की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है एवं Software तैयार कर अभ्यर्थियों से क्रीड़ा प्रशिक्षक के 379 पदों का 21 खेल विधावार विकल्प प्राप्त किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के लिए क्रीड़ा प्रशिक्षक के कुल 48 रिक्त

पदों के विरुद्ध चयन हेतु (विभागीय पत्रांक-3278 एवं दिनांक-29.07.2025) सामान्य प्रशासन विभाग अध्याचना के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को प्रेषित है।

उक्त अध्याचित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की अद्यतन स्थिति के संबंध में अपर सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा आश्वस्त करते हुए कहा गया है कि आयोग द्वारा उक्त पद के नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु एजेंसी चयन की कार्यवाही दो दिनों के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। तदोपरांत उक्त अध्याचित पदों की परीक्षा तिथि शीघ्र प्रकाशित कर दी जायेगी।

शेष परीक्षा के आयोजन के संबंध में अद्यतन जानकारी संबंधित आयोगों से प्राप्त किया जाय।

(अनुपालन- श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी-01)

(5) खेल विधेयक

खेल विधेयक (2026) की संचिका माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन- श्रीमती प्रतिभा कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी-05)

(6) ग्राम/नगर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण

(क) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा 8053 ग्राम पंचायतों में से 4704 ग्राम पंचायतों में 5183 खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा 141 निर्माणाधीन है। शेष 3349 पंचायतों में भी खेल मैदान निर्माण कराने हेतु भूमि चिन्हित करने के लिए समाहर्ता को पत्र भेजा जाय तथा इसकी छायाप्रति जिला खेल पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को भी दिया जाय तथा इस संबंध में प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, पटना को पत्र भेजा जाय।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का सूची/विवरण प्राप्त किया जाय। जिला खेल पदाधिकारी एवं खेल

विभाग के पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु कार्यक्रम बनाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी—04)

(7) आउटडोर स्टेडियम निर्माण/जीर्णोद्धार

(क) 125 प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। जिन प्रखण्डों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, उन प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम के निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन अद्यतन किये जाने का निदेश दिया गया।

(ख) संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों अधीक्षक/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बिहार से जो अच्छी स्थिति में स्टेडियम हो, जिसमें खेल कार्यक्रम शुरू हो सके, उक्त संबंध में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री रविरंजन कुमार, सहा० प्र० पदाधिकारी—04)

(8) जिला स्तरीय खेल भवन—सह—व्यायामशाला

(क) 25 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 13 जिलों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन विभाग द्वारा तैयार किया जाय।

(अनुपालन— श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी—04)

(ख) बक्सर जिला अंतर्गत खेल भवन—सह—व्यायामशाला के निर्माण हेतु नये भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी, बक्सर को पुनः स्मार पत्र भेजा गया है। इसका अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन— श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी—04)

(09) प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण

प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु वास्तुविदिय नक्शा के संबंध में पीपीटी प्रस्तुतिकरण करने का निदेश बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को दिया गया।

(अनुपालन— श्रीमती हेमा कुमारी, सहा० प्र० पदाधिकारी—04)

(10) राज्य स्तरीय अवसंरचना निर्माण/जीर्णोद्धार

(i) वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना

बांका जिला के ओढ़नी बांध के समीप वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना हेतु विभागीय पत्रांक—2721, दिनांक—17.07.2026 द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से डी०पी०आर० तैयार करने हेतु अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन— श्री संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी—05)

(11) बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर

कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर से प्राप्त सभी पत्रों का निष्पादन शीघ्र किया जाय।

विश्वविद्यालय संविधि से संबंधित मामले पर विद्वान महाधिवक्ता के निदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन— श्री भागीरथ प्रसाद यादव, प्रशाखा पदाधिकारी—01)

(12) (क) माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायक से निर्माण संबंधित प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई

माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायक से निर्माण संबंधित प्राप्त पत्रों का सूची तैयार कर लिया जाय।

(अनुपालन—प्रशाखा—04)

(ख) विधानसभा/विधान परिषद से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक प्राप्त हुए हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर को समेकित करते हुए सूची

माननीय मंत्री महोदया एवं सचिव महोदय को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री नरेश कुमार चौहान (युवा), सहायक निदेशक)

(13) जिलों में निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं का निरीक्षण कार्यक्रम

प्रत्येक जिला का भ्रमण सहायक निदेशक (युवा) एवं सहायक निदेशक (क्रीड़ा) द्वारा किया जायेगा। इन दोनों के साथ सहायक अभियंता रहेंगे। इसके अन्तर्गत सहायक निदेशक (युवा)/सहायक निदेशक (क्रीड़ा) एक दूसरे के अन्तराल पर जायेंगे। निरीक्षण हेतु जिलावार क्षेत्र भ्रमण का अगले एक साल का कार्यक्रम (सोमवार एवं बुधवार को छोड़कर) जल्द निर्धारित कर अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

निरीक्षण निम्न अवसंरचनाओं का किया जाना है:—

1. खेल भवन—सह—व्यायामशाला, भवन
2. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र
3. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम
4. नगर एवं ग्राम पंचायत में निर्मित खेल अवसंरचना
5. प्रमण्डल स्तरीय खेल मैदान
6. इण्डोर स्टेडियम
7. एम0आई0एस0
8. संबंधित कार्यालय के कर्मियों की सूची।
9. आवंटन एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र की राशि से संबंधित मामले।

क्षेत्र भ्रमण हेतु आने—जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व लेखा शाखा द्वारा किया जायेगा।

संबंधित जिला के निरीक्षण किये जाने वाले खेल अवसंरचना की सूची संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए खेल अवसंरचनाओं के कार्यकारी

एजेंसी को भी उपस्थित रहने हेतु संबंधित को पत्र भेजे जाने के साथ संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को निरीक्षण से संबंधित सूचना भेजी जाय तथा उनसे सम्पर्क कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव को अगले सप्ताह किशनगंज जिला में निर्मित आउटडोर स्टेडियम, एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि का निरीक्षण करने के लिए किशनगंज जाने हेतु संचिका उपस्थापित किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—प्रशाखा—04)

(14) खेल विभाग की वेबसाईट

खेल विभाग के वेबसाईट पर विभागीय सूचनाओं को अपलोड करने हेतु निम्नवत् निदेश सहायक निदेशक—सह—जनसंपर्क पदाधिकारी को दिया गया।

(क) मंत्रिमंडल से अनुमोदित संलेखों, संकल्पों, दिशानिर्देशों एवं महत्वपूर्ण पत्रों को आई0टी0 प्रबंधक से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करायेंगी।

(ख) सुलभ संगणक का विभागीय वेबसाईट पर अलग से प्रतीक (ICON) बनाना।

(ग) विभागीय वेबसाईट को सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों के तर्ज पर परिष्कृत करना।

(अनुपालन—श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक—सह—जनसम्पर्क पदाधिकारी एवं सुश्री दीपा रानी, आई0टी0 प्रबंधक)

(15) सभी प्रशाखा पदाधिकारी निर्गत महत्वपूर्ण पत्रों, दिशा—निर्देशों एवं अधिसूचना आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 प्रबंधक को अलग से प्रतिलिपि देंगे।

(अनुपालन— सुश्री दीपा रानी, आई0टी0 प्रबंधक)

(16) स्थानांतरण/पदस्थापन

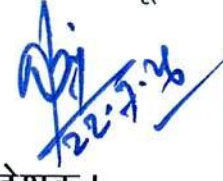
जिन जिला खेल पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है वे स्थानांतरित स्थान पर योगदान तीन दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। स्थानांतरित स्थान पर योगदान नहीं करने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त

करते हुए वेतन कटौती की कार्रवाई की जायेगी। इस आशय का पत्र सभी संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों को अविलम्ब भेजे जाने का निदेश दिया गया।


(आरिफ अहसन)
निदेशक।

ज्ञापांक— 1/स्था०—05—06/2024~~2860~~/ पटना/दिनांक—24.7/2026

प्रतिलिपि:— मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक— 1/स्था०—05—06/2024~~2860~~/ पटना/दिनांक—24.7/2026

प्रतिलिपि:— कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/निदेशक (खेल)/निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/संयुक्त सचिव, खेल विभाग/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना/उप निदेशक/अवर सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक, (क्रीड़ा, युवा, योजना)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, बिहार/ आई०टी० मैनेजर/सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक।